न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–6, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी : मुकेश परनामी

दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या : 40/2025
CIS Registration No. : 435/2025
CNR No. : RJJM010217472025

1. मैसर्स सेण्ड ड्यून कन्सट्रक्शन कम्पनी
   जरिये भागीदार श्री रवि माथुर,
   पंजीकृत कार्यालय करण हाईटज जनपथ,
   लाल कोठी, न्यू विधानसभा के पीछे, टोंक रोड, जयपुर।

2. वैभव माथुर पुत्र श्री रवि माथुर
   निवासी प्लॉट नम्बर ए–8, श्याम नगर सर्किल के पास
   श्याम नगर, जयपुर।

.... याचीगण/अभियुक्तगण

3. रवि माथुर पुत्र श्री आर.बी. माथुर
   निवासी प्लॉट नम्बर ए–8, श्याम नगर सर्किल के पास
   श्याम नगर, जयपुर।

.... याची

बनाम

विकल्प कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर झा
निवासी बी–88, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

.... प्रत्यर्थी/परिवादी

दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 सपठित धारा 440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2025 जो न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश कुमार मीणा द्वारा नियमित आपराधिक (परिवाद) प्रकरण संख्या–2605780/2024 विकल्प कुमार बनाम सेण्ड ड्यून कंस्ट्रक्शन कम्पनी व अन्य में पारित किया।

उपस्थित–

1. श्री हरीश अग्रवाल, अधिवक्ता–पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. श्री शाहिद कुरैशी, अधिवक्ता–प्रत्यर्थी की ओर से

:: आदेश :: दिनांक : 06 नवम्बर, 2025

न्यायालय द्वारा –

उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13, जयपुर महानगर–प्रथम महानगर (एतदर्थ **''विचारण न्यायालय''** से उद्धृत) द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2025 (जिसे आगे सुविधार्थ **''आक्षेपित आदेश''** से अंकित किया जायेगा), जिससे सेंड ड्यून कंस्ट्रक्शन कम्पनी जरिये भागीदार रवि माथुर एवं वैभव माथुर के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त रवि माथुर की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत होने से, व्यक्तिशः उपस्थित नहीं होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जाना आदेशित किया गया, से व्यथित होकर उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को न्यायालय श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो अंतरित होकर विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारणार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के सारतः तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी विकल्प कुमार द्वारा सेंड ड्यून कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जरिए भागीदार रवि माथुर एवं वैभव माथुर के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के तहत दण्डनीय अपराध बाबत् परिवाद अंतर्गत धारा 190(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 210(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) सपठित धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिस पर आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

3. सुना गया।

4. बहस के दौरान पुनरीक्षणकर्ता पक्ष की ओर से सारतः दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क दिए गए कि प्रथम तो 3.50 करोड रूपये रवि माथुर द्वारा उधार प्राप्त नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त भी उक्त प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है उसमें सेंड ड्यून कंस्ट्रक्शन कम्पनी के कौन भागीदार हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उनका क्या कृत्य है, इस संबंध में भी कोई भी तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं। चैक भी अपर्याप्त निधि, खाता बंद होने या हस्ताक्षर भिन्नता के आधार पर नहीं लौटाया जाकर चैक जारीकर्ता/जारकर्ता बैंक से संपर्क करने और पुनः प्रस्तुत करने के नोट के साथ लौटाया गया है। विवादित चैक पर वैभव माथुर के हस्ताक्षर नहीं हैं। रवि माथुर द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कम्पनी की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया, उसको व्यक्तिगत हैसियत

से पक्षकार नहीं बनाया गया न ही चैक अनादरण के संबंध में कोई नोटिस ही प्रेषित किया गया है, इस कारण से आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2025 को अपास्त किए जाने योग्य है।

5. अपने तर्को के समर्थन में अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा निम्न निर्णीत विधियों का अवलम्ब लिया गया–

(1) 2024 INSC 206
Sushila Padmavathy Amma vs M/S Bharthi Airtel Ltd.

(2) 2025 INSC 223
Kamal Kishor Shri Gopal Taparia vs India Ener-Gen Private Ltd. & Ors.

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी / परिवादी पक्ष की ओर से सारतः यह तर्क दिए गए कि परिवादी द्वारा ट्रेवल्स एजेन्सी का कार्य किया जाता है, जो अभियुक्त से पूर्व से परिचित है, जिसने 3.50 करोड रूपये की राशि उधार मांग की गई तथा 3 माह के भीतर उक्त राशि अदा करने का विश्वास दिया। पूर्व से परिचित होने के कारण अभियुक्त को 3.50 करोड रूपये जनवरी, 2024 में कार्यालय स्टाफ के सामने उधार दिये गये जो अभियुक्त संख्या–1 रवि माथुर द्वारा प्राप्त किए गए, जिसके पुनर्भगतान पेटे अभियुक्त द्वारा चैक संख्या 010487 दिनांक 31.03.2024 तादादी 3.50 करोड रूपये बैंक ऑफ बडौदा शाखा आदर्श नगर, जयपुर का प्रदत्त किया। उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित होकर प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में अभियुक्त को उनके सही पते पर नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी चैक में वर्णित राशि अदा नहीं होने पर विहित अवधि में परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

7. यह भी तर्क दिए गए कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञाान के प्रक्रम पर अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर अपराध का प्रसंज्ञान लिया है। चूंकि रवि माथुर पूर्व में उपस्थित हो चुका था, इस कारण से उसकी अनुपस्थिति में उसे गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किए जाने आदेशित किया गया है। यह और भी तर्क दिए गए कि उक्त रवि माथुर द्वारा कालान्तर में उपस्थित होकर जमानत करवा ली गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुसार है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने के कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

8. मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के अभिलेख की आवश्यकता नही होने से तलब नहीं किया गया।

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत निर्णीत विधियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ निम्न **अवधार्य बिन्दु** उद्भुत होता है –

> आया विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2025 वैध, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चय–

10. अवधार्य बिन्दु पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विनिश्चय के कारण–

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2012 (9) SCC 460 Amit Kapoor Vs Ramesh Chander and Another के मामले में सारतः यह मत प्रतिपादित किया है कि जहां गंभीर त्रुटि, विधि के प्रावधानों की अपालना एवं पूर्णतया गलत आदेश पारित किया गया है वहॉ पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में अपने निर्णय में निम्न मत अभिनिर्धारित किया है, कि –

> "The jurisdiction of the Court under Section 397 can be exercised so as to examine the correctness, legality or proprietary of an order passed by the trial court or the inferior court, as the case may be. Though the section does not specifically use the expression **'prevent abuse of process of any court or otherwise to secure the ends of justice',** the jurisdiction under Section 397 is a very limited one. The legality, proprietary or correctness of an order passed by a court is the very foundation of exercise of jurisdiction under Section 397 but ultimately it also requires justice to be done. The jurisdiction could be exercised where there is **palpable error, non-compliance with the provisions of law, the decision is completely erroneous or where the judicial discretion is exercised arbitrarily.**"
>
> (emphasis supplied)

12. अतः उक्त स्थापित विधि के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को अवलोकित किया जावे तो स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त के रूप में मैसर्स सेंड

ड्यून्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी व वैभव माथुर को पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश से मैसर्स सेंड ड्यून्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड जरिये भागीदार रवि माथुर एवं वैभव माथुर के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है।

13. प्रत्यर्थी / परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्यों से पुनरीक्षणकर्ता / प्रत्यर्थी द्वारा 3.50 करोड के भुगतान बाबत् अभिकथित चैक ''Kindly contact drawer/drawee Bank and please present again'' के आधार पर अनादरित होना प्रकट है, जिसके आधार पर धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है, किन्तु यह अविवादित तथ्य है कि प्रश्नगत चैक भुगतान रोके जाने, अपर्याप्त निधि, खाता बंद होने जैसे आदि कारणों से अनादरित होना प्रकट नहीं हुआ है, इस कारण से उक्त आधार 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानानुसार चैक अनादरण का पर्याप्त आधार है या नहीं इस संबंध में कोई भी निष्कर्ष आक्षेपित आदेश में अंकित होना प्रकट नहीं हुआ है।

14. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद जिसकी प्रमाणित प्रति पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है, का अवलोकन करने से वैभव माथुर उक्त कम्पनी में क्या हैसियत रखता है या अभिकथित उधार के पुनर्भुगतान हेतु प्रदत्त प्रश्नगत चैक देने में उसका क्या योगदान रहा है, इस संबंध में कोई भी तथ्य परिवाद में अभिकथित नहीं है, उक्त परिवाद में 3.50 करोड रूपये रवि माथुर द्वारा प्राप्त किये जाने व उसके द्वारा चैक दिए जाने का तथ्य अवश्य अंकित होना प्रतीत होता है। स्वीकृत रूप से विवादित चैक पर वैभव माथुर के हस्ताक्षर नहीं होना भी प्रकट हुआ है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Sushila Padmavathy Amma vs M/S Bharthi Airtel Ltd. (पूर्वोक्त) के मामले में अपने निर्णय के पैरा संख्या 10 में जो मत प्रतिपादित किया गया है वह उक्त मामले के विनिश्चयार्थ सुसंगत प्रकट होता है, जो निम्न है–

> **"10.** It was held that merely because a person is a director of a company, it is not necessary that he is aware about the day-today functioning of the company. This Court held that there is no universal rule that a director of a company is in charge of its everyday affairs. It was, therefore, necessary, to aver as to how the director of the company was in charge of day-to-day affairs of the company or responsible to the affairs of the company. This Court, however, clarified that the position of a managing director or a joint managing director in a company may be different. This Court further held that these persons, as the designation of their office suggests, are in charge

> of a company and are responsible for the conduct of the business of the company. To escape liability, they will have to prove that when the offence was committed, they had no knowledge of the offence or that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence."

16. निर्णीत विधि **Kamal Kishor Shri Gopal Taparia Vs India Ener-Gen Private Ltd. & Ors.** (पूर्वोक्त) में यह मत प्रतिपादित किया गया है, कि–

> "This Court has consistently held that a mere designation as a director does not conclusively establish liability under section 138 read with section 141 of the NI Act. Liability is contingent upon specific allegations demonstrating the director's active involvement in the company's affairs at the relevant time."

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा N.K. Wahi v. Shekhar Singh, (2007) 9 SCC 481 के मामले में अपने निर्णय के पैरा संख्या 8 में इस संबंध में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "8. To launch a prosecution, therefore, against the alleged Directors there must be a specific allegation in the complaint as to the part played by them in the transaction. There should be clear and unambiguous allegation as to how the Directors are in-charge and responsible for the conduct of the business of the company. The description should be clear. It is true that precise words from the provisions of the Act need not be reproduced and the court can always come to a conclusion in facts of each case. But still, in the absence of any averment or specific evidence the net result would be that complaint would not be entertainable."

18. उक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित है कि किसी कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु कम्पनी के निदेशक स्वतः उत्तरदायी नहीं होते उनकी सक्रिय भूमिका सिद्ध करने के लिए विशिष्ट कथनों की आवश्यकता होती है। किसी निदेशक को उत्तरदायी ठहराने के लिए, परिवाद में यह उल्लेख होना चाहिए कि अपराध घटित होने के समय वे ''कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी'' थे। हस्तगत मामले में प्रत्यर्थी / परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए परिवाद

को दृष्टिगत किया जाए तो अभियुक्त वैभव माथुर के निदेशक होने के संबंध में एवं कम्पनी के क्रिया–कलापों में सक्रिय योगदान होने के संबंध में कोई भी तथ्य अभिवचित होना प्रकट नहीं होता है।

19. जहां तक कम्पनी के निदेशक की हैसियत से अभियुक्त रवि माथुर के विरूद्ध भी अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने का प्रश्न है तो उक्त मामले में परिवादी द्वारा उक्त अभियुक्त को निदेशक की हैसियत से चैक अनादरित होने के संबंध में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानानुसार कोई नोटिस दिया जाना दर्शित नहीं हुआ है।

20. उक्त विवेचन से यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है कि प्रश्नगत चैक जिसके अनादरण के संबंध में प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का परिवाद प्रस्तुत किया गया है, उस पर पुनरीक्षणकर्ता वैभव माथुर के हस्ताक्षर नहीं है और पुनरीक्षणकर्ता रवि माथुर को निदेशक की हैसियत से चैक अनादरण होने पर चेक में वर्णित राशि की माँग नोटिस संबोधित नहीं था।

21. पुनरीक्षणकर्ता रवि माथुर के विरूद्ध आक्षेपित आदेश द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाना प्रतीत नहीं होता, बल्कि उक्त सेंड ड्यून कंस्ट्रक्शन कम्पनी मार्फत् रवि माथुर के विरूद्ध ही अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाना प्रतीत होता है।

22. ऐसी स्थिति में उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.06.2025 विधि एवं तथ्यों के अनुसार वैध, शुद्ध एवं औचित्यपूर्ण होना दर्शित नहीं होने से अपास्त कर पुनः सुनवाई कर विधिनुसार आदेश पारित करने से विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से न्यायालय उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता है।

:: आदेश ::

23. फलतः पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण मैसर्स सेंड ड्यून्स कस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड जरिये भागीदार रवि माथुर व अन्य की ओर से प्रस्तुत उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.06.2025 अपास्त किया जाता है।

24. विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रसंज्ञान आदेश के संबंध में पुनः विधिनुसार आदेश पारित करें। उपस्थित उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 05.12.2025 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

25. आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(मुकेश परनामी)

26. आदेश आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश परनामी)